

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 15203/2025

1. Gopal Singh @ Nawab S/o Raghunath, Aged About 58 Years, R/o Village Nagla Harsukh Police Station Kaman, District Deeg (Rajasthan). (At Present In Central Jail In Judicial Custody Since 21.10.2025).
2. Pratap Singh S/o Raghunath, Aged About 66 Years, R/o Nagla Harsukh Police Station Kaman, District Deeg (Rajasthan) (At Present In Central Jail In Judicial Custody Since 21.10.2025)

-----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rajeev Surana, Sr. Adv. with Mr. Anuj Rohila
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, PP Mr. Rohit Khandelwal on behalf of Mr. Rahul Sinsinwar

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

07/01/2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना— कामां, जिला— डीग में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या— 540/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 303(2), 109(1), 329(3), 189(2) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण प्रार्थी/अभियुक्त संख्या 1 गोपाल सिंह के संदर्भ में जमानत याचिका पर बहस हेतु समय चाहते हैं।

प्रार्थी/अभियुक्त संख्या 1 गोपाल सिंह के संदर्भ में जमानत याचिका पर बहस हेतु एक अवसर दिया जाता है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि उनके द्वारा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण गोपाल सिंह एवं प्रताप सिंह के संदर्भ में संयुक्त जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त प्रताप सिंह द्वारा आहत सुगनी पर कोई जानलेवा प्रहार किया गया हो, इस संदर्भ में कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार आहत सुगनी पर मुलजिम हरिओम द्वारा ट्रैक्टर चलाना और सुगनी पर फायर करने के आरोप लगाए गए हैं। प्रार्थी/अभियुक्त प्रताप सिंह के संदर्भ में इस प्रकार के कोई तथ्य नहीं हैं कि उक्त प्रार्थी/अभियुक्त ने आहत सुगनी के ऊपर आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया हो या उस पर कोई ट्रैक्टर इत्यादि चलाया हो। उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण में पक्षकारों के मध्य परस्पर जमीन को लेकर विवाद चल रहा है और यह प्रकरण उसी विवाद से उद्भूत है। अभियुक्त पक्ष द्वारा परिवादी पक्ष के विरुद्ध क्रॉस केस प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 542/2025 अपराध अंतर्गत धारा 189(2), 115(2), 126(2), 117(2), 109(1) बीएनएस एवं धारा 3/25 आयुध अधिनियम में पंजीबद्ध कराया गया है, जिसमें परिवादी पक्ष के सुगनी व कमल सिंह की जमानत याचिका समकक्ष पीठ द्वारा आदेश दिनांक 26.11.2025 के माध्यम से स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रताप सिंह की उक्त अपराध में कोई सक्रिय भूमिका नहीं रही है एवं दिनांक 21.10.2025 से अभिरक्षा में चल रहा है तथा प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त प्रताप सिंह को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक एवं विद्वान् अधिवक्ता परिवादी द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त प्रताप सिंह द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण गोपाल, हरिओम, देवेन्द्र, मुरारी इत्यादि के साथ मिलकर आहत सुगनी के साथ मारपीट की गई है और सुगनी के पैरों पर ट्रैक्टर चलाया गया है और सुगनी के ऊपर आग्नेय अस्त्र से उसकी छाती पर फायर करने के आरोप हैं और इस संदर्भ में गवाह सुगनी ने अनुसंधान के प्रक्रम पर अपने धारा 180 बीएनएसएस के कथनों में प्रार्थी/अभियुक्त प्रताप सिंह व अन्य सहअभियुक्तगण द्वारा उसके साथ मारपीट कर ट्रैक्टर चलाना,

आग्नेय अस्त्र से फायर करना इत्यादि के कथन किए हैं। इसके अतिरिक्त प्रार्थी/अभियुक्त प्रताप सिंह के विरुद्ध पूर्व में भी अन्य 6 प्रकरण मारपीट इत्यादि के पंजीबद्ध हुए हैं, जिसमें से प्रकरण संख्या 545/2007 आईपीसी के धारा 302 सपटित धारा 120-बी के अंतर्गत पंजीबद्ध हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रताप सिंह एक अभ्यस्त अपराधी है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त प्रताप सिंह का जमानत आवेदन अस्वीकार किया जाए।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

गवाह सुगनी ने अपने धारा 180 बीएनएसएस के कथनों में मुख्यतः अन्य सहअभियुक्तगण हरिओम व गोपाल द्वारा उसके ऊपर ट्रैक्टर चलाना और तदुपरांत हरिओम व गोपाल द्वारा जान से मारने की नियत से कट्टे से फायर करना बताया है। इस संदर्भ में यह तथ्य भी अभिलेख पर है कि प्रकरण में दोनों ही पक्षकारों द्वारा एक-दूसरे के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कराए गए हैं। प्रार्थी/अभियुक्त प्रताप सिंह के संदर्भ में आहत सुगनी पर ट्रैक्टर चलाने व उस पर फायर करने के तथ्य सुगनी के धारा 180 बीएनएसएस के कथनों में नहीं आए हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मैं प्रार्थी/अभियुक्त संख्या 2 प्रताप सिंह का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य समझता हूँ।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त संख्या 1 गोपाल सिंह उर्फ नवाब पुत्र रघुनाथ का जमानत आवेदन लंबित रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त संख्या 2 **प्रताप सिंह पुत्र रघुनाथ** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब निम्न शर्त पर जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

शर्तः—

प्रार्थी/अभियुक्त प्रताप सिंह प्रत्येक माह की 25 तारीख को, विचारण की समाप्ति तक, संबंधित पुलिस थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। संबंधित पुलिस थानाधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थी/अभियुक्त की उपस्थिति दर्ज करते हुए नियमित रजिस्टर का संधारण करेगा एवं उक्त उपस्थिति की रिपोर्ट उसी दिन संबंधित विचारण न्यायालय को बिना किसी विलंब के प्रेषित करेगा। यदि प्रार्थी/अभियुक्त उक्त शर्त का उल्लंघन करता है, तो संबंधित लोक अभियोजक उक्त आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत को निरस्त करने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेगा।

इस आदेश की एक प्रति संबंधित थानाधिकारी को सख्त अनुपालना हेतु भेजी जावे।

प्रकरण एक सप्ताह उपरांत सूचीबद्ध हो।

(PRAVEER BHATNAGAR),J